प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 231/2023
अनवान : –

1. रोहिताश पुत्र हरदत जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
2. रजत कुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. हरिराम पुत्र जसुराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
2. हरदत पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
3. बृजलाल पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
4. शकुन्तला पुत्री हरिराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
5. सावत्री पुत्री हरिराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
6. रामकला पुत्री हरिराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
7. प्रियंका पुत्री हरदत जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
8. महिमा पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **वादी**

निर्णय दिनांक: **29.05.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 230/208 की कुल 0.7080 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 233/213 की कुल 21.5240 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है यानि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 7 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। इसलिए वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 7 प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा वादी अपना हक हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रतिवादीया स0 4 ता 7 जो की वादीगण की बहिने है एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 की पुत्रीया एवं प्रतिवादी स0 1 के पुत्र व पुत्रीया है प्रतिवादीया स0 4 ता 8 उपरोक्त भूमि मे कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी स0 1 भी काफी वृद्ध हो चुका है इसलिए अपना

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:32:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हक हिस्सा अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है। बाद हक त्याग वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 3 वाद भूमि पर काबिज है। जिसको वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 8 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 1 व 4 ता 8 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 230/208 की कुल 0.7080 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 233/213 की कुल 21.5240 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा सरपंच ग्राम पंचायत किंकराली द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया स0 4 ता 8 व प्रतिवादी स0 1 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:32:50 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आ[illegible]

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमान[illegible])

अतः वाद वादीगण प्रतिवादीग[illegible] वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डि[illegible] किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 230/208 की कुल 0.7080 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 233/213 की कुल 21.5240 हैक्ट भूमि

प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 29.5.23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–किंकराली

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:32:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 230/2023
अनवान : –

1. रोहिताश पुत्र हरदत जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
2. रजत कुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. हरिराम पुत्र जसुराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
2. हरदत पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
3. बृजलाल पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
4. शकुन्तला पुत्री हरिराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
5. सावत्री पुत्री हरिराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
6. रामकला पुत्री हरिराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
7. प्रियंका पुत्री हरदत जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
8. महिमा पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 230 सन 2023 निर्णय दिनांक 29.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 230/208 की कुल 0.7080 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 233/213 की कुल 21.5240 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:32:50 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–किंकराली